



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Government Undertaking)
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065



पत्र सं०: 3940-मा०सं०प्र०-02/उनि०लि/2018-48-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 26 नवम्बर, 2018

- फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई,
अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/
कासिमपुर (अलीगढ़)/लखनऊ ।
- (2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
- (3) मुख्य अभियन्ता(स्तर-11)
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
1X660 पनकी तापीय परियोजना/
2X660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना,
पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा) ।

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं को महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.07.2018 से लागू बढ़ी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 9/2018-वे०आ०-1-361/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक: 02.11.2018 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 1333-मा०सं०प्र०-(02)/उ०नि०लि०/2018-48-मा०सं०प्र०-02/2001, दिनांक 08.05.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2018	मूल वेतन का 09 प्रतिशत


- 2- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 3- निगमादेश सं०: 53/मा०सं०(04)/उनि०लि/2009-17-मा०सं०(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 में निहित प्राविधानान्तर्गत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को महंगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कमश:..... 2/-

- 4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- 5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
- 6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जुलाई, 2018 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
- V- दिनांक 01 जुलाई, 2018 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक की महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।
- VI- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
- VII- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2018 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
- VIII- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2018 (माह नवम्बर, 2018 का वेतन जिसका भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को देय) से नकद किया जायेगा।
- 8- निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रिब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।

 कमशः..... 3/-

9- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,


(अनिल कुमार मिश्र)
उप सचिव (मा0सं0-02)

सं0: 3940 - मा0सं0प्र0-02 / उनिलि / 2018, तददिनांक :

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।।
3. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक(पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी-46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
6. मुख्य अभियन्ता(स्तर-11), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
7. मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद)/(जानपद नव-परियोजनाएं), तापीय परिचालन इकाई/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0-01/02/03/04/05/06/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झांसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), केश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. समस्त उप सचिव/अधिसासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
17. कार्मिक अधिकारी(औ0सं0)/जन सूचना अनुभाग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. कट फाइल।

आज्ञा से,


(अनिल कुमार मिश्र)
उप सचिव (मा0सं0-02)